


परिशिष्ट "अ"  
विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमांक-1498 प्रपत्र "अ"

योजना का नाम	सुविधाएं
(1) सामाजिक सुरक्षा पेंशन	रूपये 150/- प्रतिमाह
(2) राष्ट्रीय इंदिरा गांधी निशक्तता पेंशन	रूपये 300/- प्रतिमाह
(3) निशक्त विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	शासन नियमानुसार
(4) निशक्त विवाह प्रोत्साहन	रूपये 50000/- प्रति हितग्राही
(5) मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना 2013	60 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर मोटर ट्रायसिकल/ लेपटॉप सुविधा
(6) निःशक्त विद्यार्थियों हेतु छात्रगृह	5 छात्रों के लिये निजी भवन किराया
(7) निःशक्त छात्र-छात्राओं के लिये उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता	शिक्षण शुल्क एवं 10माह के लिये निर्वहन परिवहन भत्ता
(8) निशक्त व्यक्तियों को कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय एवं शल्य चिकित्सा	कृत्रिम अंग सहायता उपकरण
(9) निःशक्त व्यक्तियों को सिविल सेवा प्रोत्साहन	प्रारम्भिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर, 20,000/- मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 30,000/-
(10) मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन/बहुविकलांगजनों के लिये सहायता अनुदान	500/- प्रतिमाह

अधिनियम	नियम
निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी ) अधिनियम 1995	निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी ) नियम 1997
द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ आर्टिज्म, सेरेब्रल पॉलसी, मेन्टल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट 1999	-

  
उप संचालक  
वास्ते संचालक  
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण  
मध्यप्रदेश



परिशिष्ट "ब"  
प्रपत्र "ब"

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 1498 अतारांकित

	जनपद पंचायत मुरैना	जनपद अम्बाह	जिला कार्यालय मुरैना
प्राप्त आवेदन	157	474	656
<u>प्रदत्त सुविधाएं</u>			
कृत्रिम अंग उपकरण प्रदाय	69	110	220
निःशक्त विवाह प्रोत्साहन	0	0	52
इंदिरा गॉधी निःशक्त पेंशन	51	99	0
निःशक्त छात्रवृत्ति	0	0	183
उच्च शिक्षा में फीस निर्वाह भत्ता / परिवहन भत्ता	0	0	3
मुख्यमंत्री निःशक्तशिक्षा प्रोत्साहन	0	0	3
मंदबुद्धि / बहुविकलांग को सहायता	0	0	191
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना	0	0	4
सामाजिक सुरक्षा पेंशन	23	184	0
योग	143	393	656



उप संचालक  
वास्ते संचालक  
सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण,  
मध्यप्रदेश